साँची दूध/दुग्ध उत्पाद अस्थाई परिवहनकर्ता चयन हेतु

आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

साँची दूध/दुग्ध उत्पाद अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को निम्न मार्गो पर साँची दूध/दुग्ध उत्पाद के अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य हेतु इंसुलेटेड वाहनों की आवश्यकता हैं :–

क्र.	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी (आना–जाना)	आवश्यक क्रेट क्षमता का वाहन
1	डेयरी संयंत्र उज्जैन से चिकली, इंगोरिया, बड़नगर, बदनावर, रूनिजा, खाचरौद मार्ग	224	200
2	डेयरी संयंत्र उज्जैन से शाजापुर मार्ग	118	300
3	डेयरी संयंत्र रतलाम से जावरा, कालुखेड़ा, ताल, आलोट मार्ग	250	150

प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते है या उज्जैन दुग्ध संघ के मुख्यालय से दिनांक 16.06.2026 से निःशुल्क प्राप्त कर दिनांक 22.06.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे तक दुग्ध संघ मुख्यालय पर सभी आवश्यक जानकारी भरकर जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे खोला जाएगा।
अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई वेबसाइट www.sanchidairy.com पर ही प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

<u>अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 16.06.2026 से www.sanchidairy.com से रू. 500/- के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं।
2.	आवेदन भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.06.2026 समय अपरान्ह 01:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
3.	आवेदन प्रपत्र की तकनीकी अर्हता खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 22.06.2026 एवं समय अपरान्ह 03:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय

प्रपत्र क्र.01

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

स्वयं का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो लगावें।

आवेदनकर्ता की जानकारी

1. आवेदनकर्ता का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल एड्रेस ....
6. अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम ....
7. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(स) आधार कार्ड नम्बर..

(द) GST नम्बर...

8. वाहन नंबर ....
9. वाहन के RC की छायाप्रति।

उपरोक्त समस्त दस्तवेजों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।

मेरे द्वारा अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र क्र.02

आवेदन प्रपत्र की आवश्यक नियम एवं शर्ते :–

1. मार्गो की जानकारी निम्नानुसार हैं :–

क्र.	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी (आना–जाना)	आवश्यक क्रेट क्षमता का वाहन
1	डेयरी संयंत्र उज्जैन से चिकली, इंगोरिया, बड़नगर, बदनावर, रूनिजा, खाचरौद मार्ग	224	200
2	डेयरी संयंत्र उज्जैन से शाजापुर मार्ग	118	300
3	डेयरी संयंत्र रतलाम से जावरा, कालुखेड़ा, ताल, आलोट मार्ग	250	150

2. आवेदक को उपरोक्त मार्गो में से जिस मार्ग हेतु दर प्रस्तुत करना हैं उस मार्ग का नाम अंकित कर आगामी पृष्ठ पर दर प्रपत्र में प्रति किलोमीटर आधार पर टोल एवं सभी कर सहित दरें प्रस्तुत करना होगी। आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सीलबंद लिफाफे में बंद कर लिफाफे पर आवेदनकर्ता का नाम व मार्ग का नाम अंकित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के नाम से उज्जैन दुग्ध संघ की आवक–जावक शाखा में जमा करना होगा।
3. किन्ही दो आवेदकों द्वारा समान दर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में लेटेस्ट मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. दुग्ध संघ द्वारा उपरोक्त मार्गो पर स्थाई परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा कार्यवाही की जा रही हैं। ई–निविदा कार्यवाही द्वारा स्थाई परिवहनकर्ता अनुबंधित होने पर 10 दिवस की पूर्व सूचना देकर अस्थाई वाहन को पृथक कर दिया जावेगा। जिस पर आवेदक को भविष्य में कोई आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नही होगा।
5. आवेदक को अस्थाई परिवहनकर्ता कार्य आवंटित होने पर शासन के सभी नियम एवं कानून लागू होगे जिनका परिवहनकर्ता को अनिवार्यतः पालन करना होगा।
6. अस्थाई परिवहनकर्ता के कार्य की अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी अथवा वृद्धि होती हैं तो तदअनुसार स्वीकृत दरें भी अनुपातिक रूप से संशोधित की जावेगी।
7. अस्थाई परिवहनकर्ता द्वारा जितनी क्रेटे डेयरी संयंत्र से ले जाई जाएगी उतनी ही क्रेटे प्रतिदिन वापस संयंत्र में जमा कराने की जिम्मेदारी अस्थाई परिवहनकर्ता की होगी। कार्यअवधि समाप्ति पर क्रेट का खाता मिलान कर पूर्ण संख्या में क्रेटे जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कम क्रेटों की धन राशि अस्थाई परिवहनकर्ता के देयकों से वसूल की जावेगी।
8. कोई भी ऐसा अवेदक आवेदन न करें जो कि उज्जैन अथवा अन्य दुग्ध संघों में ब्लैक लिस्टेड हो, अन्यथा आवेदन अमान्य होगा।
9. अस्थाई परिवहनकर्ता के पास स्वयं का/अनुबंधित वांछित क्षमता का इंसुलेटेड वाहन होना अनिवार्य होगा।
10. अस्थाई परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन भी करना होगा।
11. प्रतिभागी आवेदनकर्ता के पास दूध के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच के पफ इंसूलेशन होना अनिवार्य है।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध/दुग्ध पदार्थ अस्थाई परिवहनकर्ता की नियम व शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 10 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध लिया गया निणर्य सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

दर प्रपत्र

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें सभी कर एवं टोल टेक्स सहित (अंको में) रू प्रति कि.मी.	परिवहन दरें सभी कर एवं टोल टेक्स सहित (शब्दों में) रू प्रति कि.मी.
1	डेयरी संयंत्र उज्जैन से चिकली, इंगोरिया, बड़नगर, बदनावर, रूनिजा, खाचरौद मार्ग		
2	डेयरी संयंत्र उज्जैन से शाजापुर मार्ग		
3	डेयरी संयंत्र रतलाम से आलोट मार्ग		

नोट :— आवेदनकर्ता द्वारा जिस मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं केवल उसी में अंको एवं शब्दों में दरें अंकित करें।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर